

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—40/2018 (2018/00102) वाद पत्र

अनवान

1. भीमा पिता गोमा भील निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. मांगु पिता नोला भील निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. देवा पिता गोमा भील निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. भैरू पिता रता भील निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. कालु पिता रता भील निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. बाबु पिता रता भील निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 राज0 टी0 एक्ट

उपस्थित

1—फारूख मोहम्मद

अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक 24.12.2019

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 22.06.2018 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम आसुणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 5 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 334 रकबा 0.28 है. आराजी संख्या 335 रकबा 0.28 है. आराजी संख्या 336 रकबा 0.28 है. आराजी संख्या 337 रकबा 0.28 है. आराजी संख्या 338 रकबा 0.56 है. आराजी संख्या 339 रकबा 0.01 है. आराजी संख्या 340 रकबा 0.50 है. कुल कित्ता 7 कुल रकबा 2.40 है0 भूमि स्थित है। जिसमे वादी का 1/4 हिस्से का बाई मीट्स एण्ड बोर्ड्स के आधार पर स्वतन्त्र राजस्व खाता रवेन्यु रिकार्ड में खाले जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एव तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 23.12.2019 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और उभयपक्ष अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर उभयपक्ष अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीगण के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम आसुणा तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी मे की प्रस्तावित आराजी संख्या 337 रकबा 0.28 है0, आराजी संख्या 340/1 रकबा 0.25 है0, किता 2 रकबा 0.52 है0 भीमा पिता गोमा भील सा0 देह खातेदार रहन बदस्तुर जमाबन्दी के नाम तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 334 रकबा 0.28 है0, आराजी संख्या 335 रकबा 0.28 है0, आराजी संख्या 336 रकबा 0.28 है0, आराजी संख्या 338 रकबा 0.56 है0, आराजी संख्या 340/3 रकबा 0.21 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 1.61 है0 भूमि देवा पिता गोमा 1/3 भैरू कालु बाबु पिता रता 1/3 भील सा0 देह लाडु पिता गिरधारी भील 1/3 सा0 देह पिथाका खेड़ा रहन बदस्तुर जमाबन्दी एवं आराजी नम्बर 339 रकबा 0.01 है0 गैमु खडडा आराजी नम्बर 340 /2 रकबा 0.04 है0 किता 2 रकबा 0.05 है0 को सामलाती बदस्तुर जमाबन्दी रखी जाकर रेकार्ड कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।



(Signature)
24.12.19
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—40/2018 (2018/00102) वाद पत्र

अनवान

1. भीमा पिता गोमा भील निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. मांगु पिता नोला भील निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. देवा पिता गोमा भील निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. भैरु पिता रता भील निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. कालु पिता रता भील निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. बाबु पिता रता भील निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा


प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 रा0 टि0 एक्ट

यह मुकदमा वास्तु इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीगण के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम आसुणा तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी मे की प्रस्तावित आराजी संख्या 337 रकबा 0.28 है0, आराजी संख्या 340/1 रकबा 0.25 है0, किता 2 रकबा 0.52 है0 भीमा पिता गोमा भील सा0 देह खातेदार रहन बदस्तुर जमाबन्दी के नाम तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 334 रकबा 0.28 है0, आराजी संख्या 335 रकबा 0.28 है0, आराजी संख्या 336 रकबा 0.28 है0, आराजी संख्या 338 रकबा 0.56 है0, आराजी संख्या 340/3 रकबा 0.21 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 1.61 है0 भूमि देवा पिता गोमा 1/3 भैरु कालु बाबु पिता रता 1/3 भील सा0 देह लाडु पिता गिरधारी भील 1/3 सा0 देह पिथाका खेड़ा रहन बदस्तुर जमाबन्दी एवं आराजी नम्बर 339 रकबा 0.01 है0 गैमु खडडा आराजी नम्बर 340 /2 रकबा 0.04 है0 किता 2 रकबा 0.05 है0 को सामलाती बदस्तुर जमाबन्दी रखी जाकर रेकार्ड कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

वाद में डिक्री आज दिनांक 24.12.2019 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।




24/12/19
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

